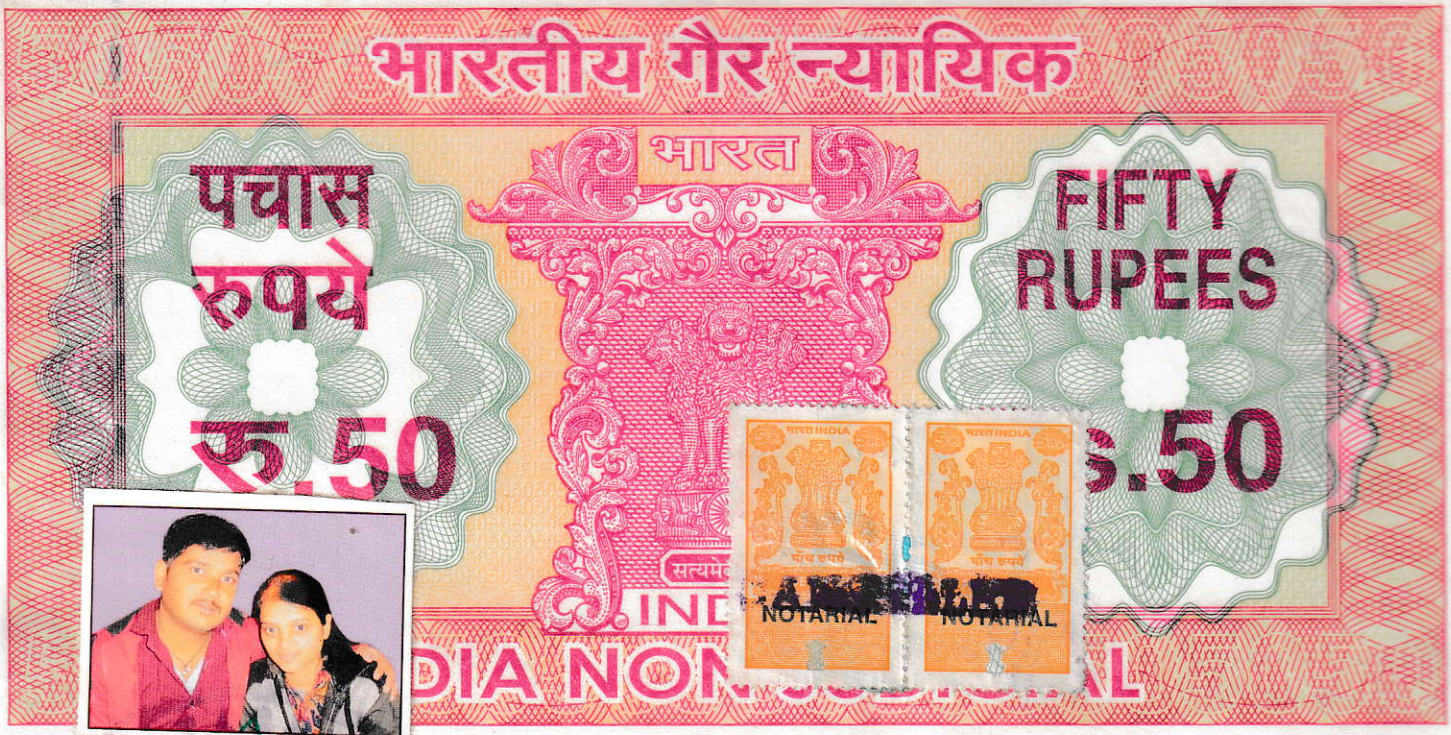

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 309603

वैवाहिक मेमोरेन्डम

ज्योति मालती सेलार पुत्री मालती सेलार उम्र लगभग 25 वर्ष सा0मौ0– मु0पो0–अंधारी सतारा मुम्बई। **प्रथम पक्ष**

प्रदीप लक्ष्मण सिकन्दर पुत्र लक्ष्मण सिकन्दर उम्र लगभग 33 वर्ष सा0मौ0–नियर हनुमान चाल , शिवाजी नगर (1) मरोल, पाइप लाइन ए0के0रोड ईस्ट मुम्बई। **द्वितीय पक्ष**

चूँकि हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष एक दूसरे को वर्षों से जानते व पहचानते है,और आपसी रजामन्दी से मैहर देवी मंदिर जौनपुर में भगवान जी को साक्षी मानकर एक दुसरे को माला पहनाकर हिन्दू रीति –रिवाज के अनुसार शादी कर लिये। एक दुसरे के साथ बतौर पति– पत्नी रहना स्वीकार कर लिया है, जो निम्न शर्तो से पाबन्द होते है :–

1– यह कि उभयपक्ष उपरोक्त पते के निवासी है। उभयपक्ष की शादी पूर्व में हो चुकी है। कोई दस्तावेज साक्ष्य मौजूद नही है। इसलिए यह इकरारनामा निष्पादित किया जा रहा है।

2– यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच कोई प्रतिबन्धित रिश्ता नही है।

3– यह कि प्रथम पक्ष बालिंग है, अपना भला– बुरा ,हानि – लाभ जानती व समझती है।

4– यह कि प्रथम पक्ष स्वछन्द विचार से सोच– समझकर विना किसी दबाव के द्वितीय पक्ष को अपना जीवन साथी चुना है।

5– यह कि प्रथम पक्ष अपनी मर्जी से अपनी जिन्दगी की भलाई के लिए अपने भविष्य को देखते हुए वहैसियत द्वितीय पक्ष को बिना किसी दबाव के पति स्वीकार किया है।

6– यह कि आज से उभय पक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम से बाधित होगें और हिन्दू धर्म के अनुसार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष पति– पत्नी की तरह रहेगे।

7– यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के प्रति अपने प्रेम व सौहार्द पूर्ण समर्पित रहेगी , और प्रथम पक्ष भी अपने कर्तब्यों का पालन करेगी। यह द्वितीय शादी है।

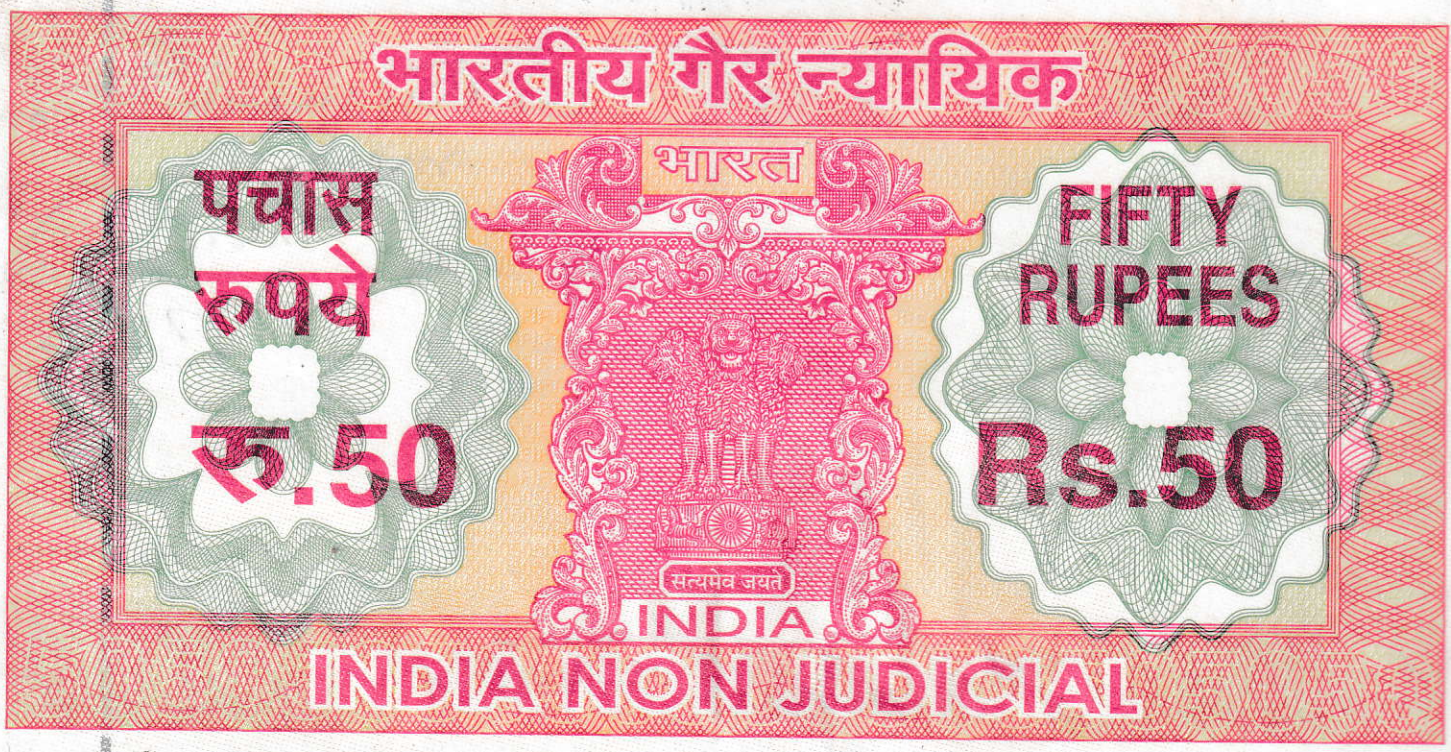

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 309604

8– यह कि दोनो पक्ष आगामी जीवन सद्भावना पूर्वक दम्पत्ति तौर से व्यतीत करेगे, और दोनो पक्षो के सम्पर्क से जो भी सन्ताने उत्पन्न होगी वह वैध सन्तान होगी और उन सन्तानों की दोनो पक्षों की सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार होगा, तथा द्वितीय पक्ष का भी पत्नी की हैसियत से प्रथम पक्ष की सम्पत्ति में अधिकार होगा।

9– यह कि द्वितीय पक्ष को जैसे सौन्दर्य प्रसाधन ,भरण–पोषण आदि का खर्च प्रथम पक्ष यथाशक्ति प्रदान करता रहेगा ।

10– यह कि दोनो पक्ष अब कोई दूसरी शादी नही करेगे। यदि प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष छोड़ता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रथम पक्ष से भरण– पोषण का खर्चा ले सकती है।

11– यह कि यदि द्वितीय पक्ष भी अपना कर्तब्य व अधिकार न अदा करें तो उसके विरूद्व भी प्रथम पक्ष को अदालती सहअधिकार प्राप्त होगा ।

अतः दोनो पक्ष बहुत ही सोच – समझकर अपने होशो – हवाश में अपने– अपने भला चाहने वालो से राय मशविरा लेकर तथा बिना किसी के डरवाये धमकाये अपनी– अपनी मर्जी से यह अनुबन्ध लिख प्रतिलेख में दिया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह0 प्रथम पक्ष Imshaloan

ह0 द्वितीय पक्ष Sadif

गवाहान .... Anil Kumar Bind

गवाहान ....

Solemnly affirmed on oath before me U/S (I) of Notaries Act 1952 in between .... A.M. .... P.M. on this day .... of .... deponent .... Advocate the Contents of this affidavit were read and explained to the deponent who has admitted them to be True.

Radhey Mohan Ojha
Advocate Notary
District-Jaunpur